295

| राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
| --- | --- |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

माघ 18, सोमवार, शाके 1943-फरवरी 07, 2022
*Magha 18, Monday , Saka 1943- February 07, 2022*

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक विभाग**

**क-ग्रुप-2**

अधिसूचना

**जयपुर, जनवरी 31, 2022**

**जी.एस.आर.408** :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 2 का संशोधन.-** राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खंड (क) के पश्चात और विद्यमान खंड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खंड (कक) अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;"

**3. नियम 7 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी," के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी," प्रतिस्थापित की जायेगी।

**4. नियम 14 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 14 के परंतुक के खंड (vii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**5. नियम 18 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 18 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**6. नियम 20 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 20 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**7. नया नियम 20-क का अंतः स्थापन.**- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 20 के पश्चात और विद्यमान नियम 21 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 20-क अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"20-क. छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण.**- (1) छात्रावास अधीक्षक (पुरूष) ग्रेड-II और छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा, बोर्ड द्वारा अनुसूची III में यथा विनिर्दिष्ट स्कीम और पाठ्य विवरण के अनुसार आयोजित की जायेगी।

**8. नियम 21 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 21 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग के सचिव या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड के सचिव या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी तथा विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**9. नियम 22 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 22 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**10. नियम 23 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 23 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति " साक्षात्कार हेतु अपने समक्ष उपस्थित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उसके/उनके द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, साक्षात्कार में उपस्थित" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**11. नियम 24 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 24 में,-**

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी या, यथास्थिति, नियम 23 में निर्दिष्ट समिति", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड/ नियुक्ति प्राधिकारी या, यथास्थिति, नियम 23 में निर्दिष्ट समिति" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, नियम 23 में निर्दिष्ट समिति", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियम 23 में निर्दिष्ट समिति" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**12. नियम 26 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 26 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी या, यथास्थिति, नियम 23 में निर्दिष्ट समिति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी या, यथास्थिति, नियम 23 में निर्दिष्ट समिति" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**13. अनुसूची-II का संशोधन.**- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में, शीर्ष अधीनस्थ सेवा पद के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात तथा विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और

उसकी प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 6क, 6ख, 6ग और 6घ तथा उनकी प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6क. | छात्रावास अधीक्षक(पुरूष) ग्रेड-I | - | 100% | - | छात्रावास अधीक्षक (पुरूष) ग्रेड-II | स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव | |
| 6ख. | छात्रावास अधीक्षक(महिला) ग्रेड-I | - | 100% | - | छात्रावास अधीक्षक (महिला)ग्रेड-II | स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव | |
| 6ग. | छात्रावास अधीक्षक(पुरूष) ग्रेड-II | 100% | | (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता, और<br>(ii) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।<br>या<br>एनआईईएलआईटी, नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर कंसेप्ट में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।<br>या<br>व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक(क.ऑ.प्रो.स.)/ डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।<br>या<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र<br>या<br>कम्प्यूटर विज्ञान/एक विषय के रूप में कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ, देश में किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र।<br>या<br>सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।<br>या<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि मिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा)।<br>या<br>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।<br>स्पष्टीकरण: अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6घ. | छात्रावास अधीक्षक(महिला) ग्रेड-II | 100% | | (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता, और<br>(ii) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएससी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।<br>या<br>एनआईईएलआईटी, नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर कंसेप्ट में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।<br>या<br>व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक(क.ऑ.प्रो.स.)/ डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।<br>या<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र<br>या<br>कम्प्यूटर विज्ञान/एक विषय के रूप में कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ, देश में किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र।<br>या<br>सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।<br>या<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि मिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा)।<br>या<br>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता।<br>स्पष्टीकरण: अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। | | | |

"

**14. नयी अनुसूची-III का जोड़ा जाना.-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II के पश्चात निम्नलिखित नयी अनुसूची-III जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

**"अनुसूची- III**

**छात्रावास अधीक्षक (पुरूष /महिला) ग्रेड-II के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण**

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि दो घण्टों की होगी।
3. प्रश्नपत्र में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-

(I) **समसामयिक मामले:** राज्य, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख समसामयिक सरकारी मुद्दे, घटनाएं और खेल ।

**(II) भूगोल और प्राकृतिक संसाधन:**

(i) विश्व की व्यापक भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर।

(ii) भारत की परिस्थितिकी और वन्य-जीवन।

(iii) राजस्थान की भौतिक संरचना: जलवायु, वनस्पति और मृदा, क्षेत्र, राजस्थान के व्यापक भौतिक विभाजन। जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, सूखा, अकाल और मरूस्थलीकरण की समस्याएं।

(iv) राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन: खान और खनिज, वन, भूमि और जल, पशु संसाधन, वन्य-जीव और संरक्षण।

**(III) भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास:** राजस्थान की खाद्य और वाणिज्यिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, मरूस्थल और बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं। प्रमुख उद्योग। जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था।

**(IV) इतिहास और संस्कृति:** प्रमुख स्मारक और साहित्यिक कार्य। निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में भारत और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति:

(क) जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था ।

(ख) बोलियां और साहित्य।

(ग) संगीत, नृत्य और रंगमंच।

(घ) धार्मिक मान्यताएं, पंथ, संत, कवि, योद्धा-संत, "लोक देवता" और "लोक देवियां"

(ड.) हस्तशिल्प।

(च) लोक और जनजाति पहलुओं के विशेष संदर्भ में उनके मेले और त्यौहार, रीति-रिवाज, परिधान और आभूषण।

**(V) सामान्य बौद्धिक योग्यता।**

**(VI) तार्किक दक्षता और विश्लेषणात्मक योग्यता।**

**(VII) अंग्रेजी, हिन्दी और गणित (सैकण्डरी स्तर)**

**(VIII) राजस्थान में राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था।**

**(IX) कम्प्यूटर का मूल ज्ञान।**

**[सं. एफ.1(5)/डीओपी/ ए-II/89]**
**राज्यपाल के आदेश और नाम से,**
जय सिंह,
**संयुक्त शासन सचिव।**

**DEPARTMENT OF PERSONNEL**
**A-Gr-II**
NOTIFICATION
**Jaipur, January 31, 2022**

**G.S.R.408** .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service (Amendment) Rules, 2022.